No. 49/38/2014-6SII
GOVERNMENT OF HARYANA
CHIEF SECRETARY'S OFFICE
PERSONNEL DEPARTMENT

Dated, Chandigarh, the 09th May, 2014.

To

All concerned IAS Officers.

Subject: Filling up the post of Chairman, Forward Markets Commission (FMC), Mumbai.

****

Madam/ Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to say that a copy of letter No. F.24/18/2013-CD, dated 15th April, 2014 received from Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Capital Market Division, (Commodity Derivatives Section), New Delhi is uploaded on the web site (csharyana.gov.in) and to request that in case you are willing to be considered for the post mentioned in the above subject you may kindly send three copies of your bio-data with an application to the Personnel Department (Services Branch-II) at the earliest.

Yours faithfully,

(SATISH SHARMA)
Superintendent Services-II.

INTERNAL DISTRIBUTION
e-champion

[redacted]

No. F.24/18/2013-CD
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
Capital Market Division
(Commodity Derivatives Section)

North Block, New Delhi
Dated; 15th April, 2014

To

1. Secretaries, Ministries/Departments of the Government of India.
2. Chief Secretaries, States/UTs.
3. Cadre Controlling Authorities of All India Services/Central Services(Group 'A').

Subject: Filling up the post of Chairman, Forward Markets Commission (FMC), Mumbai.

Sir,

Forward Markets Commission (FMC) is a statutory body set up in 1953 under the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 with its Headquarters in Mumbai. It is a regulatory authority under the Department of Economic Affairs in the Ministry of Finance, Government of India. It is responsible for regulating commodity derivatives in future markets in India.

2. **It is proposed to fill up a post of Chairman in the Forward Markets Commission (FMC), as per the following details:**

I. Designation of the Post - Chairman, Forward Markets Commission, Mumbai.

II. Level and pay of the post - Secretary to the G.o.I. and Pay - Rs. Rs. 80,000/-(fixed) p.m..

III. Tenure of the deputation: Chairman of the Commission shall hold office for a period of three years from the date of his appointment, and a Chairman relinquishing his office on the expiry of his term shall be eligible for re-appointment or as may be decided by the competent authority or till he attains the age of 65 years, whichever is earlier.

IV. Statutory requirement of the post: The candidate desirous to be appointed as Chairman should be a person of ability, integrity and standing who have shown capacity in dealing with problems relating to commerce or commodity markets or law or in administration or who have special knowledge or practical experience in any matter which renders them suitable for appointment on the Commission. No person shall be qualified for appointment as, or for continuing to be, a Chairman of the Commission, if he has, directly or indirectly, any such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a Chairman of the Commission.

V. **Method of Recruitment:-**

By deputation from amongst officers of the Central Government/State Government/ Union Territories/Public Sector Undertaking/Universities/Semi Government Autonomous or Statutory Organizations who have rendered a minimum of 25 years service in Group 'A' and

(i) holding analogous posts on regular basis; or

(ii) having rendered regular service of seven years in the Grade Pay of Rs. 10,000/- pm in the Pay Band 4 or posts of similar status.

Short Term Contract; Persons employed in Public Sector Undertakings, recognized Universities, Research Organizations, financial institutions with a minimum of 25 years service (including period of research) in academic/research Institutions/banks dealing in commodities/securities market.

VI. **Educational Qualifications and Experience**: The Educational Qualifications and Experience required for the post are as under:-

Essential:-

Master Degree in Economics/ Commerce/Public Admin /Public Policy/ Finance/Law/ Statistics from a recognized University or equivalent.

Experience:

More than 25 years of professional experience in the field of Financial Markets/ Commodity Markets/Law or related fields.

Desirable:

Ph. D in Economics or Commerce or Finance or Statistics or Law or related fields.

3. **Selection Procedure**: The selection will be made by a Search-cum-Selection Committee duly constituted by the Department of Economic Affairs. The Selection Committee shall have the right to short list the candidates for the post on the basis of the experience, qualifications, etc. of the candidates and call for personal discussion only the short listed candidates. The selection procedure shall be as per Circulars/Instructions issued in the matter from time to time by the Central Government including Consolidated guidelines issued vide DOP&T's O.M No. AB-14017/2/01-Estt(RR) dated 29th February 2008.

4. **How to apply:** Applications may kindly be forwarded through proper channel in respect of serving officials, in the proforma duly completed with up-to-date ACR Dossiers of the last 5 years duly attested, cadre clearance, vigilance clearance, integrity certificate and details of major/minor penalty imposed during the last ten years, if any, to the Under Secretary (CD), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Room No. 49-A, North Block, New Delhi-110001 within 45 days from the date of publication of the Advertisement in this regard in the Employment News. The crucial date of eligibility will be the date of this advertisement in the Employment News. Non-serving applicants may send their

applications in the proforma along with attested documents as proof for age, qualifications and experience. They should also furnish two references of persons of repute who may be contacted by the Government for verification/confirmation.

5. "APPLICATION FOR THE POST OF CHAIRMAN, FMC" should be clearly super scribed on the envelope containing the application for the said post.

6. Applications not in the prescribed proforma and/or not following the procedure laid down in paragraph 4 above are liable to be rejected summarily.

Yours faithfully,

(K. N. Mishra)
Under Secretary to the GOI
Tel; 23095070
Email; mishra.kn@nic.in

PROFORMA

APPLICATION FOR THE POST OF CHAIRMAN, FORWARD MARKETS COMMISSION, MUMBAI UNDER THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS, MINISTRY OF FINANCE

Self attested passport size photograph

1. (i) Name (in block letters)

   (ii) Fathers Name (in block letters)

   (iii) Address (in block letters) (with PIN Code) (a) Office;
   (b) Residence:

   (iv) Telephone Numbers (with STD code): (a) Landline,
   (b) Mobile
   (c) Fax No.

   (v) Email ID;
   (Please give valid email –id as the email id
   Would generally be used for the communication purpose)

2. **Date of Birth;**

3. Nationality;

4. Date of superannuation under Central/State Govt.. Rules;

5. (i) Educational qualifications (in the reverse Chronological order);

   (ii) Other special qualifications, if any;

6. (i) Whether educational qualifications required for the post are satisfied;

   (ii) If any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the vacancy advertisement, state the authority for the same;

7. (i) Present post held

(ii) Date from which the present post held;

(iii) Pay Band/Scale of pay of the present post held;

(iv) Pay as on date;

(v) Total emoluments per mensem being drawn;

8. Experience in the subject field of selection

9. Details of employment in chronological order starts with present post and last in reverse. Please enclose a separate sheet, duly authenticated by the signature of the applicant;

In case the present employment is held on deputation/please state

(a) The date of initial appointment;
(b) Period of appointment on deputation;

10. (i) Whether belongs to SC/ST;
(ii) if yes, give details;

11. Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post.

The above information and particulars are true to the best of my knowledge. Simultaneously, in the event of my selection to the post, I will not withdraw my candidature for the post of the Chairman, FMC. If any information is found incorrect or false at any point of time, my candidature / appointment shall be liable to be rejected/ terminated and action against me may be taken as deemed fit.

Place:

Date: **Signature of the candidate.**

1. Certified that the particulars furnished by the officer have been verified w.r.t. service records and found to be correct.
2. It is certified that no disciplinary proceedings are either pending and/or contemplated against the officer.
3. Integrity of the officer is certified.
4. It is certified that no major/minor penalty has been imposed on the officer during the last ten years.
5. It is certified that the cadre clearance in respect of the officer, whose particulars are being forwarded, have been obtained.

Signature of Head of Office/Department
With rubber stamp

Name(Block Letters):

Designation:

Tel No.:

Address:

Place:

Date

सं. एफ. 24/18/2013-सीडी
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
पूंजी बाजार प्रभाग
(पण्य व्युत्पन्न अनुभाग)

....

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 15 अप्रैल, 2014

सेवा में

1. सचिव, भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग
2. मुख्य सचिव, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
3. अखिल भारतीय सेवाओं/केंद्रीय सेवाओं (समूह 'क') के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण

विषय : अध्यक्ष, वायदा बाजार आयोग (एफएमसी), मुंबई के पद पर नियुक्ति हेतु।

महोदय,

वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के तहत 1953 में स्थापित एक सांविधिक निकाय है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। यह वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में आर्थिक कार्य विभाग के अधीन विनियामक प्राधिकरण है। यह भारत में वायदा बाजारों में पण्य व्युत्पन्न नियंत्रण करने के लिए जिम्मेदार है।

2. वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) में अध्यक्ष के पद को निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार भरने का प्रस्ताव है :

I. **पद का नाम** : अध्यक्ष, वायदा बाजार आयोग, मुंबई।

II. **पद का स्तर और वेतनमान** : सचिव, भारत सरकार और वेतनमान 80,000/- रुपए (नियत) प्रतिमाह।

III. **प्रतिनियुक्ति की अवधि** : आयोग का अध्यक्ष अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेगा, और अध्यक्ष अपने कार्यकाल की समाप्ति पर अपना पद त्याग करते समय पुन:नियुक्ति के लिए पात्र होगा अथवा जैसा भी सक्षम प्राधिकरी द्वारा निर्णय लिया जाए अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।

IV. **पद की सांविधिक अपेक्षा** : अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का इच्छुक अभ्यर्थी समर्थ, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने वाणिज्य अथवा पण्य बाजारों अथवा विधि अथवा प्रशासन से संबंधित समस्याओं को निपटाने में सामर्थ्य का प्रदर्शन किया हो अथवा जिसे किसी ऐसे मामले में विशेष जानकारी या व्यावहारिक अनुभव हो जो आयोग में नियुक्ति के लिए उन्हें

उपयुक्त ठहराता हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए, अथवा उस पद पर बने रहने के लिए योग्य नहीं होगा, यदि वह, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित रखता है जिससे आयोग के अध्यक्ष के रूप में उसके कार्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

V. **भर्ती की प्रणाली**

केंद्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/ विश्वविद्यालयों/अर्ध-सरकारी स्वायत्त या सांविधिक संगठनों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा जिन्होंने समूह 'क' में कम से कम 25 वर्षों की सेवा प्रदान की हो और जो

(i) नियमित आधार पर सदृश पदों पर कार्यरत रहा हों; या

(ii) पे बैंड 4 में 10,000/-रुपए प्रतिमाह के ग्रेड पे में या इसके समान स्तर के पदों पर सात वर्षों की नियमित सेवा प्रदान कर चुके हों।

अल्पकालिक संविदा : सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संगठनों, वित्तीय संस्थाओं में कार्यरत ऐसे व्यक्ति जो शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थाओं/ पण्यों/प्रतिभूति बाजार में कारोबार कर रहे बैंकों में कम से कम 25 वर्षों की सेवा (अनुसंधान की अवधि सहित) कर चुके हों।

VI. **शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव :** इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव निम्नवत हैं :-

अनिवार्य :

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्था से अर्थशास्त्र/वाणिज्य/लोक प्रशासन/सार्वजनिक नीति/वित्त/विधि/सांख्यिकी में निष्णात उपाधि।

अनुभव :

वित्तीय बाजारों/पण्य बाजारों/विधि या संबंधित क्षेत्रों में 25 वर्षों से अधिक का व्यावसायिक अनुभव।

वांछनीय :

अर्थशास्त्र या वाणिज्य या वित्त या सांख्यिकी या विधि या संबंधित क्षेत्रों में पीएच.डी।

3. **चयन प्रक्रिया :** यह चयन आर्थिक कार्य विभाग द्वारा विधिवत रूप से गठित जांच और चयन समिति द्वारा किया जाएगा। चयन समिति को अभ्यर्थियों के अनुभव, अर्हताओं, आदि के आधार पर इस पद के लिए अभ्यर्थियों की लघु सूची बनाने का अधिकार होगा और वह इस प्रकार लघु सूची में शामिल अभ्यर्थियों को हीं वैयक्तिक चर्चा के लिए बुलाएगी। चयन प्रक्रिया इस मामले में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/अनुदेशों के अनुसार और डीओपी एंड टी के दिनांक 29 फरवरी, 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एबी-14017/2/01-स्था.(आरआर) के तहत जारी समेकित दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

4. **आवेदन कैसे करें :** सेवारत पदधारियों से संबंधित आवेदन पत्रों को रोज़गार समाचार पत्र में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 45 के अंदर विगत 5 वर्षों के विधिवत रूप से अनुप्रमाणित अद्यतन वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के डोजियरों, संवर्ग स्वीकृति, सतर्कता स्वीकृति, सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र और विगत दस वर्षों के दौरान लगाई गई मुख्य/गौण शास्ति के ब्यौरों के साथ विधिवत रूप से परिपूर्ण प्रपत्र में उचित माध्यम से अवर सचिव (सीडी), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, कमरा नम्बर 49-ए, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 को अग्रेषित किया जाना चाहिए। पात्रता की निर्णायक तिथि रोजगार समाचार पत्र में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि होगी। गैर-सेवारत आवेदक आयु, अर्हताओं तथा अनुभव के प्रमाण स्वरूप सत्यापित दस्तावेजों के साथ अपने आवेदन प्रपत्र में भेज सकते हैं। उन्हें ऐसे दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के संदर्भ भी भेजने चाहिए जिनसे सत्यापन/पुष्टि के लिए सरकार द्वारा संपर्क किया जा सके।

5. उक्त पद के आवेदन वाले लिफाफे पर अध्यक्ष, वायदा बाजार आयोग के पद का आवेदन साफ-साफ लिखा होना चाहिए।

6. जो आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में नहीं होंगे और/या जो उपर्युक्त पैराग्राफ 4 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करते हों, उन्हें तत्काल अस्वीकृत किया जा सकता है।

भवदीय,

(के. एन. मिश्रा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 23095070
ई-मेल : mishra.kn@nic.in

प्रपत्र

आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के अधीन अध्यक्ष, वायदा बाजार आयोग, मुंबई के पद के लिए आवेदन।

स्वतः अनुप्रमाणित
पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ

1. (i) नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
   (ii) पिता का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
   (iii) पता (स्पष्ट अक्षरों में) (पिन कोड सहित) (क) कार्यालय;
   (ख) निवास :

   (iv) दूरभाष सं. (एसटीडी कोड सहित) : (क) लैंडलाइन
   (ख) मोबाइल
   (ग) फैक्स सं.

   (v) ई-मेल आईडी :
   (कृपया वैध ई-मेल आईडी दें, क्योंकि ई-मेल आईडी का उपयोग प्रायः संपर्क स्थापित करने के लिए किया जाएगा)

2. जन्म-तिथि :

3. राष्ट्रीयता

4. केंद्र सरकार/राज्य सरकार की नियमावली के अधीन अधिवर्षिता की तिथि;

5. (i) शैक्षिक अर्हताएं (विपरीत कालक्रम से)
   (ii) अन्य विशेष अर्हताएं; यदि कोई हों,

6. (i) क्या पद हेतु अपेक्षित शैक्षणिक अर्हताएं संतोषप्रद हैं;
   (ii) यदि किसी अर्हता को रिक्ति वाले विज्ञापन में विहित अर्हता के समकक्ष माना गया है तो इसके प्राधिकार का उल्लेख करें;

7. (i) वर्तमान में धारित पद
   (ii) किस तारीख से वर्तमान पद पर हैं;
   (iii) वर्तमान में धारित पद का पे-बैंड/वेतनमान
   (iv) आज की तारीख में वेतन
   (v) प्रतिमाह आहरित कुल वेतन

8. चुने गए विषय-क्षेत्र में अनुभव

9. रोजगार का इस प्रकार विपरीत कालक्रमानुसार ब्यौरा दें कि वर्तमान पद से शुरू करते हुए अंत तक जाएं। कृपया इसके लिए पृथक कागज संलग्न करें जिसे आवेदक के हस्ताक्षर से विधिवत सत्यापित किया गया हो;

यदि वर्तमान पद प्रतिनियुक्ति पर है/कृपया उल्लेख करें

(क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख

(ख) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की अवधि

10. (i) क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं;

(ii) यदि हां, ब्यौरा दें;

11. कोई अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, जो आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में देना चाहते हैं।

उपर्युक्त सूचना और विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं। साथ ही, यदि इस पद पर मेरा चयन हो जाता है तो मैं अध्यक्ष एफएमसी के पद की अभ्यर्थिता से अपना नाम वापस नहीं लूंगा। यदि कोई सूचना, किसी भी समय, गलत अथवा झूठी पाई जाती है तो मेरी अभ्यर्थिता/नियुक्ति अस्वीकृत/समाप्त की जा सकती है और मेरे विरुद्ध, जो भी कार्रवाई उपयुक्त समझी जाए, की जा सकती है।

स्थान :

तारीख :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

1. प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया विवरण उनके सेवा रिकार्ड से सत्यापित कर लिया गया है और इसे सही पाया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी के विरुद्ध न तो कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है और न ही विचाराधीन है।

3. अधिकारी की सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर ली गई है।

4. प्रमाणित किया जाता है कि विगत दस वर्षों में अधिकारी पर कोई बड़ी/छोटी शास्ति नहीं लगाई गई है।

5. प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी जिनका विवरण अग्रेषित किया जा रहा है, की संवर्ग स्वीकृति पत्र प्राप्त हो गया है।

कार्यालय/विभाग प्रमुख के रबड़
की मुहर के साथ हस्ताक्षर

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :

पदनाम :

टेलीफोन नम्बर :

पता :

स्थान :

दिनांक :